भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

फा.सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस **दिनांक: 29 जून, 2017**

सेवा में,

सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राजनैतिक
दलों के अध्यक्ष/सचिव/महासचिव

विषय: लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को लागू करने के अनुदेश-धार्मिक/सांप्रदायिक आधारों पर राजनैतिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए वादे-तत्संबंधी।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि आदर्श आचार संहिता तथा विधि के विभिन्न प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंधित है कि राजनैतिक दलों एवं उनके नेताओं को धार्मिक आधार पर समाज के विभिन्न भागों के बीच असंगति फैलाने वाले बयानों से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह समाज की शांति और शांतचितत्ता को भंग करता है जो स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक है।

2. आयोग के नोटिस में यह आया है कि उप-निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक पदाधिकारी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उन जिलों/क्षेत्रों में धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर वादे/अपील करने का रूख करते है जहां पर आदर्श आचार संहिता प्रचालन में नहीं होती है ताकि आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन से बचा जा सके। यद्यपि, यह वास्तव में दूरगामी निहितार्थ है क्योंकि यह उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के दिमाग को प्रभावित करेगा जहां पर उप-निर्वाचन निर्वाचनगत हैं तथा इस प्रकार, निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को दूषित करता है।

3. ऊपर के दृष्टिकोण में, आपसे अनुरोध है कि आप अपने सभी नेताओं/कार्यकर्ताओं तथा अन्य संबंधित को सुझाव दें कि वे ऐसे बयानों/अपीलों से दूर रहें जो समाज की शांति एवं शांतचितत्ता भंग करते हों। ऐसे बयान पूरे देश में किसी भी समय नहीं देने चाहिएं तथा आगामी सभी निर्वाचन अवधियों(उप-निर्वाचनों सहित) के दौरान, यहां तक कि जहां पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होता है, शब्दों के उपयोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि निर्वाचन की शुचिता को बनाया रखा जा सके तथा जन साधारण के बीच कोई दुर्भावना उत्पन्न न हो जो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों के संचालन हेतु अनुकूल माहौल के लिए अति आवश्यक है।

भवदीय,

(आर.के.श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।